न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–170/2019 (जीसीएमएस नं. 2019/00292)

01. बाबूलाल पुत्र स्व. श्री भूरा,
02. सत्यनारायण पुत्र स्व. भूरा,
03. कृष्णकन्हैया पुत्र स्व. श्री भूरा,
04. सेडू पुत्र स्व. श्री गंगाराम,
05. सरदार पुत्र स्व. श्री कल्याण,
06. जगदीश उर्फ मन्नालाल पुत्र श्री कल्याण, समस्त जाति मीना, निवासी ग्राम बैनाड़ दौलतपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

01. राधेश्याम पुत्र स्व. श्री मोती,
02. गोपाल पुत्र स्व. श्री मोती,
03. सुशीला पुत्री स्व. श्री मोती,
04. मदन पुत्र स्व. श्री मोती,
05. राजू पुत्र स्व. श्री मोती,
06. सूरज पुत्र स्व. श्री मंगला,
07. कालू पुत्र स्व. श्री हनुमान,
08. तौफान पुत्र स्व. श्री हनुमान,
09. गुड्डी पुत्री स्व. श्री हनुमान,
10. श्रीमती ज्याना धर्मपत्नी स्व. श्री हनुमान, समस्त जाति मीना, निवासी ग्राम बैनाड़ दौलतपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
11. बंशी पुत्र स्व. श्री मंगला,(मृतक)
    - 11/1. श्रीमती शांति देवी पत्नी स्व. श्री बंशी आयु 65 वर्ष,
    - 11/2. जगमाल पुत्र स्व. श्री बंशी आयु 45 वर्ष,
    - 11/3. रामवतार पुत्र स्व. श्री बशी आयु 40 वर्ष,
    - 11/4. रामकिशोर पुत्र स्व. श्री बंशी आु 30 वर्ष समस्त निवासीयान हरियाणाा ब्राहाम्णों की ढाणी कालवाड़ झोटवाड़ा जयपुर।
12. प्रहलाद पुत्र स्व. श्री मंगला, निवासी ग्राम बैनाड़ दौलतपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
13. श्रीमती नाना देवी पुत्री स्व. श्री मंगला धर्मपत्नी श्री मूलचन्द, जाति मीना, निवासी ग्राम कालवाड़, मुण्डोता, तहसील व जिला जयपुर।
14. श्रीमती फूलादेवी पुत्री स्व. श्री मंगला धर्मपत्नी श्री रामधन, जाति मीना निवासी ग्राम कालवाड़ मुण्डोता तहसील व जिला जयपुर।
15. श्रीमती सरोज पुत्री स्व. श्री मंगला धर्मपत्नी श्री मोहनलाल, जाति मीना निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री अशोक कुमार शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री मुकेश शर्मा एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 14 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 17.10.2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार रामपुरा डाबडी तहसील आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2019 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम बैनाड़ दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि साबिका खसरा नम्बर 514 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 358 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा जिनके हाल बन्दोबस्त में नवीन खसरा नम्बर 435 रकबा 0.97 हैक्टयर, खसरा नम्बर 436/982 रकबा 0.19 हैक्टयर, खसरा नम्बर 720/934 रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 722 रकबा 0.01 हैक्टयर व खसरा नम्बर 723 रकबा 0.74 हैक्टयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.11 हैक्टयर हुये है जो कि सेडू पुत्र लालू मीना की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी, एवं राजस्व भू अभिलेखों में सेडू पुत्र लालू मीना का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज था व सेडू पुत्र लालू का दिनांक 01.02.1964 को देहान्त हो चुका है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन हिकया है कि सेडू पुत्र लालू मीना का देहान्त हो जाने पर मंगला पुत्र श्रीमती शोभा ने विरासत का नामान्तरकरण संख्या 96 दिनांक 20.06.1966 उप सरपंच ग्राम पंचायत खोराबीसल से अपने आपको मंगला दत्तक पुत्र सेडू मीना अंकित कराते हुये बाला–बाला तस्दीक करा लिया, उक्त नामान्तरकरण संख्या 96 दिनांक 20.06.1966 की जानकारी होते ही गंगाराम व श्योदान ने आपत्ति प्रस्तुत की जिसके आधार पर सहायक भू अभिलेख अधिकारी आमेर ने दिनांक 01.06.1992 को आदेश पारित कर नामान्तरकरण संख्या 53 तीनों भाईयों यथा गंगाराम, श्योदान व मंगला के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर तस्दीक किये जाने का आदेश पारित फरमा दिया, सहायक भू अभिलेख अधिकारी आमेर के उक्त आदेश दिनांक 01.06.1992 के विरूद्ध मंगला ने अपील प्रस्तुत की जिसके अपील संख्या 178/1994 को भू अभिलेख अधिकारी जयपुर ने दिनांक 01.02.1995 के अपने निर्णय द्वारा स्वीकार करते हुये सहायक भू अभिलेख अधिकारी आमेर के आदेश दिनांक 23.05.1992 एवं नामान्तरकरण संख्या 53 दिनांक 01.06.1992 को निरस्त फरमाकर नामान्तरकरण संख्या 96 दिनांक 20.06.1966 को बहाल कर दिया एवं भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 01.02.1095 के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रस्तुत की जिस अपील संख्या 42/1995 उनवानी भूरा बनाम मंगला को भू प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान जयपुर ने दिनांक 17.04.2000 को अपने निर्णय द्वारा स्वीकार करते हुये भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 01.02.1995 को निरस्त करते हुये नामान्तरकरण संख्या 53 को बहाल किये जाने का आदेश पारित फरमा दिया गया, भू प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान जयपुर के उक्त निर्णय के विरूद्ध मंगला व अन्य ने राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी याचिका प्रस्तुत की जिस निगरानी याचिका संख्या 59/2000 उनवानी मंगला व अन्य बनाम भूरा व अन्य को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने दिनांक 10.02.2003 को अपने निर्णय द्वारा स्वीकार करते हुये भू प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 17.04.2000 को निरस्त फरमा दिया और भू प्रबन्ध अधिकारी के उपरोक्त वर्णित निर्णय दिनांक 01.02.1995 को बहाल फरमा दिया। तत्पश्चात् माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान के उक्त निर्णय दिनांक 10.02.2003 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की गई जिस एस.बी.

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

सिविल रिट याचिका 3131/2003 उनवानी भूरा व अन्य बनाम मंगला व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.10.2016 द्वारा स्वीकार करते हुये उपरोक्त वर्णित सभी निर्णयों को निरस्त करते हुये प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित फरमा दिया कि सेडू पुत्र लालू की विरासत के बिन्दु को विचारण न्यायालय सभी पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से निर्णय फरमावें। जिस निर्णय की अनुपालना में उक्त प्रकरण को तहसीलदार आमेर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के अन्तर्गत दर्ज करते हुये पक्षकारान को नोटिस जारी किये जाने के आदेश पारित किये, उसके पश्चात् प्रकरण उप तहसीलदार रामपुरा डाबडी को हस्तान्तरित कर दिया और उप तहसीलदार रामपुरा डाबडी ने तथ्यों एवं कानून के विपरित विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना ही कतई परवर्स अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.07.2019 पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार रामपुरा डाबड़ी ने अपने निर्णय में एक ओर तो यह अंकित किया है कि चूँकि पक्षकारान जाति से मीना अर्थात अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है इसलिये उन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है और दूसरी ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ही मृतक सेडू की बहन शोभा के एक पुत्र को परिवार का उत्तराधिकारी अपीलाधीन आदेश से घोषित करने का समानान्तर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.09.1960 के दस्तावेज को एक ओर तो बख्शीशनामा करार दिया और दूसरी ओर वसीतयनामा करार देते हुऐ अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2019 पारित किया है जबकि विधि के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को अपना तथाकथित हकीकी वारिस घोषित करने का अधिकार नही होता या तो सेडू मृतक मंगला के पक्ष में कोई वसीयतनामा तहरीर करता या विक्रयपत्र/दानपत्र तहरीर कर पंजीकृत करवाता परन्तु कोई दस्तावेज तहरीर नही किया गया है, दिनांक 30.09.1960 के तथाकथित दस्तावेज को किसी भी अवस्था में सेडू द्वारा अपनी वसीयत तहरीर करने के सामान्तर नही पढ़ा जा सकता, वसीयतनामा लिखे जाने की जो आवश्यक शर्ते होती ही उनमें से किसी भी शर्त का कोई भी उल्लेख उक्त दस्तावेज में नही है, इसलिये उक्त दस्तावेजा को ना ही दानपत्र माना जा सकता और ना ही उक्त दस्तावेजात को वसीयत माना जा सकता परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेज के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो पूर्ण रूप से अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि विधि की सुस्थापित व्यवस्था है कि सेडू का दिनांक 01.02.1964 को देहान्त होते ही उसका उत्तराधिकार उसके उत्तराधिकारी में व्याप्त हो गया इस प्रकार सेडू पुत्र लालू का देहान्त होते ही उसके अधिकार उसकी बहन श्रीमती शोभा में अविलम्ब व्याप्त हो गये क्योंकि मृतक लालू मीना के एक पुत्र सेडू तथा एक पुत्री श्रीमती शोभा थी एवं सेडू नाऔलाद फौत हो गया ऐसी स्थिति मे हिन्दू मिताक्षरा विधि के

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रावधानों अनुसार उसकी उत्तराधिकारी बहन होने के नाते श्रीमती शोभा ही एक मात्र उत्तराधिकारी हुई तथा श्रीमती शोभा के तीन पुत्र गंगाराम, श्योदान व मंगला हुऐ जो अपनी माता के बहिस्सा बराबर–बराबर उत्तराधिकारी हुये किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का निस्तारण इस तरह निर्णित किया है कि जैसे कि वे लालू मीना के उत्तराधिकारी शोभा की अनुपस्थिति में निर्णित कर रहे हो। प्रकरण में यह एक स्वीकृत तथ्य है कि दिनांक 01.02.1964 को सेडू का देहान्त हो गया और उसकी बहन श्रीमती शोभा का देहान्त दिनांक 07.03.1965 को हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्य को नजरअन्दाज नही किया जा सकता फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो पूर्णतः अवैध एवं विधिक प्रावधान एवं प्रक्रियाओं के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि यह सही है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नही होता और उन पर पूर्व का हिन्दू कानून अर्थात हिन्दू मिताक्षरा विधि के प्रावधान ही लागू होते है और मिताक्षरा विधि के प्रावधानों के अनुसार मृतक की बहन क्रम संख्या 14 पर तथा बहन के पुत्र क्रम संख्या 34 सी पर उत्तराधिकारी होते है प्रस्तुत प्रकरण में उत्तराधिकार श्रीमती शोभा में व्याप्त हुआ और शोभा के तीन पुत्र होने से उसके तीनों पुत्रों गंगाराम, श्योदान व मंगला बहिस्सा बराबर उत्तराधिकार होते है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2019 को निरस्त फरमाया जाकर मृतक सेडू की बहन मृतक शोभा के तीनों पुत्रों गंगाराम, श्योराम व मंगला के वारिसान को मृतक सेडू के वारिसान मृतक शोभा के तीनो पुत्रों के उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश फरमाये जाकर उनके नाम राजस्व भू अभिलेखों में अंकित किये जाने के निर्देश दिये जावें।

अधिवक्ता रेस्पेडेन्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में समस्त तथ्यों व विधि का एवं न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन कर विधि सम्मत अपीलाधीन आदेश पारित किया है। उन्होने आगे कथन किया हे कि मंगला को सेडू का गोद पुत्र होने व सेडू द्वारा मंगला को अपना हकिकी वारिस घोषित करने व मंगला का ही उक्त सेडू की सम्पत्तियों पर लगातार काबिज काश्त होने व सेडू की विरासत का नामान्तरकरण दत्तक पुत्र के आधार पर मगला के नाम खुलने व उसका अमल हो जाने एवं उसके अस्तित्व में रहते अपीलान्ट को नया नामान्तरकरण खुलवाने का विधिक अधिकार नही होने के आधार पर एक विधिक निर्णय पारित किया गया है जिसमें कोई अवैधता नही की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दावे में उन्होने मंगला को सेडू का दत्तक पुत्र माना गया है तथा

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

उक्त दावे में मंगला सेडू का दत्तक पुत्र नही हो ऐसा स्पेसिफिक अभिवचन उन्होने नही किया है, यहॉ तक कि उन्होने मंगला को सेडू का दत्तक पुत्र नही होने का भी कोई अनुतोष उक्त वाद में नही चाहा जिससे मंगला का सेडू का गोद पुत्र होना एडमिट है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट की ओर से पूर्व में सेडू की सम्पत्ति में हक प्राप्त करने हेतु राजस्व वाद प्रस्तुत कर दिया गया था जो वाद खारिज हो चुका है इसलिये वे समरी प्रोसिडिंग में अब कोई अनुतोष प्राप्त नही कर सकते, अगर अपीलान्ट को कोई अनुतोष चाहिये तो उन्हे कानूनन पूर्व वाद को रेस्टोर करवा कर ही उसमे अनुतोष प्राप्त करने की कार्यवाही करनी चाहिये इसलिये भी अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपील में अपीलान्ट ने बहिन के पुत्र के गोद नही लिये जाने का कोई ठोस आधार नही लिया है तथा विधिनुसार प्रतिरक्षा के बाहर के तथ्य को नही देखा जा सकता इसके अलवा पक्षकार मीना जाति के है जिन पर हिन्दू विधि लागू नही होती है जबकि पुरानी हिन्दू विधि व मिताक्षरा विधि मे चार वर्ण (जाति) हुआ करती थी जिसमें शुद्र जाति में बहिन के पुत्र व पुत्री को गोद लिया जा सकता है पक्षकार मीना जाति से होने से वे शुद्र जाति में आते है और इनमें बहिन के पुत्र को गोद लिया जा सकता है इसके अलावा मीना जाति में रूढिया होती है जो विधि का ही रूप होती है एवं सामान्य विधि से ऊपर ये रूढ़ियॉ होती है, विधिनुसार मीना जाति पर मिताक्षरा विधि भी लागू नही होती उन पर तो उनकी रूढ़ियॉ ही लागू होती है और रूढ़ियों के तहत ही वंश को चलाने हेतु अपने परिवार में गोद लिया जा सकता है जिससे स्पष्ट है कि बहिन का पुत्र गोद लिया जा सकता है।

अधिवक्ता रेस्पेडेन्ट ने कथन किया है कि सेडू द्वारा अपने जीवन काल में लिखी गई इबारत दिनांक 30.09.1960 के तहत सेडू न अपने जीवनकाल में ही मंगला को अपना हकीकी वारिस घोषित कर उसे अपनी सम्पत्तियॉ देने स्वीकार कर लिया था जो उक्त लिखित की इबारत के आधार पर वह मंगला को अपना हकीकी वारिस घोषित करने के साथ ही वह सेडू का अन्तिम इच्छापत्र भी है जिसमें भी सेडू की सम्पत्ति पर केवल मात्र मंगला का ही हक व अधिकार है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा आज दिनांक तक सेडू द्वारा मंगला के पक्ष में लिखी गई इबारत दिनांक 30.09.1690 को निरस्त नही करवाया है तथा यदि अपीलान्ट ने मंगला के सेडू का गोद पुत्र होन से व्यथित है तो वे उसे सिविल कोर्ट से निरस्त करवाकर ही प्रभावी अनुतोष प्राप्त कर सकते है इसलिये भी उक्त अपील खारिज योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार रामपुरा डाबडी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2019 में किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

हमने पत्रावली एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न नामान्तरकरण संख्या 96 के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त आराजी सेडू पुत्र लालू के नाम दर्ज रिकार्ड थी तथा उक्त सेडू पुत्र लालू की मृत्यु होन पर स्व. सेडू द्वारा मंगला के हक में लिखी गई हकीकी इबारत के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 96 मंगला पुत्र सेडू के नाम पटवारी हल्का द्वारा भरा गया एवं ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.06.1966 स्वीकार किया गया है तथा नामान्तरकरण की कार्यवाही तो एक फिस्कल कार्यवाही है जिसमें किसी भी पक्षकारान के हक हकूक अधिकारों का निर्धारण नही होता है। हक हकूक अधिकारों के लिये तो पक्षकारान द्वारा सक्षम न्यायालय में नियमित दावा दायर करके ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है और यदि उक्त वादग्रस्त आराजी में अपीलार्थीगण के किसी प्रकार के हक हकूक प्रभावित हो रहे है तो इसके लिये उन्हे सक्षम न्यायालय में नियमित दवा दायर कर अनुतोष हेतु चाराजाही करनी चाहिये। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य सबूत या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किये गये है जिससे वादग्रस्त आराजी के खातेदार सेडू द्वारा मंगला के पक्ष में लिखी गई हकीकी इबारत को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित किया जाना साबित होता हो। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार रामपुरा डाबड़ी द्वारा प्रकरण में समस्त तथ्यों का विधिक रूप से परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2019 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2019 को यथावत रखा जाता है।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 17.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।